स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण महिलाओं की दशा

*डॉ. सुनंदा भंडारी

शोध सारांश

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को रोजगार पयाप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार लगातार ग्रामीण गरीबों को रोजगार दिलवाने के प्रति कटिबंध है। लेकिन देश में रोजगार की समस्या सिर्फ सरकार की ही पहल से दूर नहीं हो सकती है इसके लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को भी सामने आना होगा। इसी पहल के तहत भारत में महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह काफी कारगर साबित हो रहे हैं।

भारत में वैसे तो स्वयं सहायता समूह की शुरूआत '1992' में 'नाबार्ड' ने एक योजना के तहत भी लेकिन इसे प्रचलित होने में काफी समय लग गया। भारत में गठित 35 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में लगभग 90 प्रतिशत तो महिलाओं से ही सम्बन्धित है। भारत में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में महिलाओं की ज्यादा सहभागिता का कारण देश की लगभग 60 प्रतिशत गरीब महिला जनसंख्या का होना है।

स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ऐसा अनौपचारिक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों के सूक्ष्म वित्तीयन से अपने समूह की पारिवारिक व व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करता है और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी जैसे अभिशाप को दूर करने तथा महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः स्वयं सहायता समूह एकजुटता का प्रतीक होते हैं जिसमें एक जैसी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की महिलाएँ होती हैं तथा समूह के सभी सदस्य छोटी–छोटी बचत करके आपसी सहयोग से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बन कर उभर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना से गरीब भारत की तस्वीर बदलने लगी है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वयंसहायता समूह की निर्माण भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। जिसके जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं बल्कि एकजुट होकर सामाजिक कुरीतियाँ, नारी उत्पीड़न, छुआछूत तथा ऊँच–नीच के भेदभाव को भी मिटा सकते हैं। ये समूह ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र

गोविन्द गढ़ ब्लॉक, जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में से एक मात्र ब्लॉक है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'स्वयंसिद्धा' स्वयं सहायता समूह योजना संचालित की गई क्योंकि इस ब्लॉक में महिलाओं के लिए पहले से कोई स्वयं सहायता समूह नहीं चल रहे थे। यहाँ की कुल महिलाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं की संख्या अधिक है तथा सामाजिक दृष्टि से यहाँ की महिलाओं की स्थिति भी शोचनीय

है। यह योजना मुख्यतः इन्हीं वर्ग की महिलाओं के विकास के लिए चलाई गई है।

गोविन्दगढ़ ब्लॉक, जयपुर जिले के उत्तरी भाग में $27^0 9'$ उत्तरी अक्षांश से $27^0 25'$ उत्तरी अक्षांश एवं $75^0 25'$ पूर्वी देशान्तर से $75^0 48'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य जयपुर से 48 कि.मी. उत्तर में स्थित है। (मानचित्र)

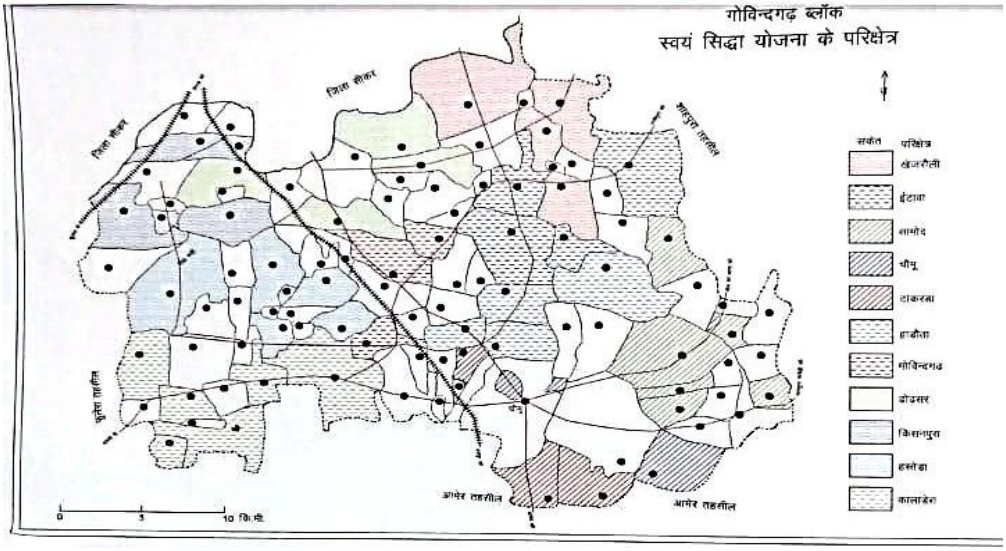

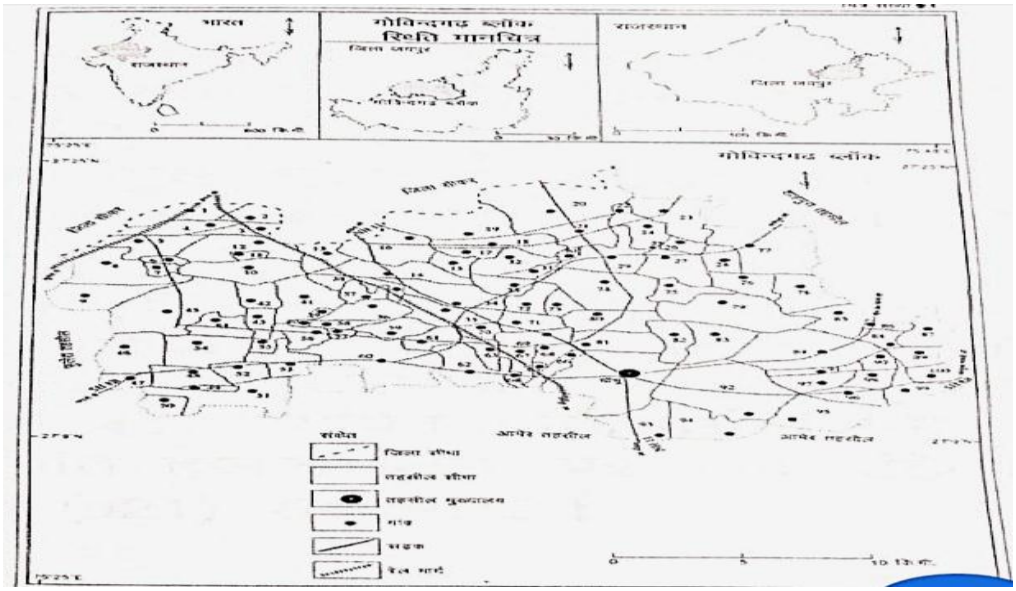

सारणी–1
गोविन्दगढ़ ब्लॉक में स्वयंसिद्धा योजनान्तर्गत गाँव

क्र.सं.	परिक्षेत्र का नाम	गाँव का नाम	गाँवों की संख्या
1.	खेजरोली	खेजरोली, निवाणा, नांगल कोजू, कंवरपुरा	4
2.	ईटावा	ईटावा, तिंगरिया, विशनपुरा, चारणवास, देवथला	4
3.	सामोद	सामोद, म्हारकलां, फतेहपुरा, कुशलपुरा, कानपुरा, बरवाड़ा	6
4.	चौमू	चीथवाड़ी, गीदावाली, वारावाली, रेगर बस्ती	1+3 वार्ड
5.	टांकरडा	टांकरडा, जैतपुरा, अणतपुरा	3
6.	हाड़ौता	हाड़ौता, उदयपुरिया, लोहरवाड़ा, नांगलभरड़ा	4
7.	गोविन्दगढ़	गोविंदगढ़, स्याऊ, नरसिंहपुरा	3
8.	ढोढसर	गुडलिया, सिंगोदकला, सिंगोदखुर्द, नांगलकला	4
9.	किशनपुरा	भूतेड़ा, आढ़तीकलां, नांगल गोविंद, रंजीतपुरा, बागड़ी का बास	5
10.	हस्तेड़ा	आलीसर, सांदरसर, हस्तेड़ा, खन्नीपुरा, विमलपुरा, कुम्भ का बास	6
11.	कालाडेरा	कालाडेरा, घिनोई, सबलपुरा, कानरपुरा, डोला का बास, बावड़ी–गोपीनाथ	6
	योग	**46 गाँव एवं 3 वार्ड**	**49**

अध्ययन का उद्देश्य

1. 'स्वयंसिद्धा' स्वयं सहायता समूह की लाभार्थियों की आर्थिक कार्य संरचना का अध्ययन करना।
2. 'स्वयंसिद्धा' स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति का अध्ययन करना।

परिकल्पना –

1. 'स्वयंसिद्धा' स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से लाभार्थियों को रोजगार मिलने से आर्थिक सशक्तिकरण बड़ा है।
2. 'स्वयंसिद्धा' योजना समाप्त होने के पश्चात् भी समूह की क्रियाशीलता व आजीविका कार्य निरन्तर चल रहा है।

विधि तंत्र

अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोत समंकों के संग्रह पर आधारित है। प्राथमिक समंक साक्षात्कार, अनुसूची एवं

निरीक्षण विधि से संग्रहित किये गए हैं। सभी प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन कर निश्चित उद्देश्यों के अनुसार उनका संकलन सम्पादन, मानचित्रण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया है।

'स्वयंसिद्धा' योजना परिचय

'स्वयं सिद्धा' योजना जो कि स्वयं सहायता समूह के गठन पर आधारित है के अन्तर्गत ऋण प्रक्रिया के द्वारा स्व–व्यवसाय को प्रोत्साहन देना है जो कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, ताकि महिलाओं की पहुँच आसान रहे। यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से 2001 में पाँच वर्ष के लिए शुरू की गई थी।

ग्रामीण महिलाएँ और आजीविका

स्वयं सिद्धा' स्वयं सहायता समूह की चयनित लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति व रोजगार कार्य की स्थिति को जानने के लिए यह अध्ययन किया गया है।

गोविन्दगढ़ ब्लॉक में यद्यपि 100 गाँव हैं परन्तु यह योजना 46 गांवों (100 वार्ड) में चला रही है क्योंकि इन गाँवों की पंचायत समिति सदस्यों की सम्मति (ताकि महिलाओं को सामाजिक–अर्थिक कार्य में भाग लेने में विरोध न हो) एवं महिलाओं की स्वयं की अभिरूचि रही, वहीं पर यह योजना शुरू की गई।

साधारण प्रतिदर्श से चयनित 147 लाभार्थियों के आजीविका कार्य व उनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है कि इस योजना से वे कितना लाभान्वित हुई है।

सारणी–2

लाभार्थियों का जाति विवरण

क्र.सं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	40	27
2.	अनुसूचित जनजाति	22	15
3.	पिछड़ी जाति	61	42
4.	सामान्य	24	16
	योग	**147**	**100**

सारणी–2

लाभार्थियों का जाति विवरण

क्र.सं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	40	27
2.	अनुसूचित जनजाति	22	15
3.	पिछड़ी जाति	61	42
4.	सामान्य	24	16
	योग	**147**	**100**

सारणी–3

लाभार्थियों का जाति और व्यवसाय अनुसार विवरण

	जाति / व्यवसाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	सामान्य जाति	योग	प्रतिशत
स्व–व्यवसाय	डेयरी	.	12	34	12	58	39
	सिलाई	5	4	18	7	34	24
	कृषि	14	1	1	-	16	11
	जूतियाँ एवं पंखी बनाना	10	-	-	-	10	7
	दुकान चलाना	-	-	2	-	2	1
	ब्यूटी पार्लर	-	-	1	1	2	1
श्रमिक कार्य	तगाई कार्य	6	-	1	3	10	7
	कंगन डोरा	1	4	1	1	7	5
	बीज काटना	3	-	3	-	6	4
	रूई बत्ती बनाना	-	1	1	-	2	1
	योग	**40**	**22**	**61**	**24**	**147**	**100**

सारणी–4

लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति व जाति

क्र.सं.	जाति शैक्षिक स्थिति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	सामान्य	योग
1.	अशिक्षित	23	10	23	7	63
2.	साक्षर	–	06	01	–	07
3.	प्राथमिक	13	3	23	7	46
4.	उच्च प्राथमिक	4	3	10	5	22
5.	सैकण्डरी	–	–	2	2	04
6.	सीनियर सैकण्डरी	–	–	2	3	05
	योग	**40**	**22**	**61**	**24**	**147**

जाति

जाति

स्वयं सिद्धा योजना पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है कुल लाभार्थियों में से 84 प्रतिशत लाभार्थी इसी वर्ग की है जिनमें से अनुसूचित जाति की 25 प्रतिश्त लाभार्थी खानदानी पेशा (जूतियाँ बनाने) का कार्य कर रही है। अनुसूचित जनजाति की 54.54 प्रतिशत लाभार्थी परम्परागत कार्य (डेयरी) जो पशुपालन से सम्बन्धित है, कर रही है इनमें पिछड़ी तथा सामान्य जाति की लाभार्थी का प्रतिशत (54.4) भी इस कार्य में अधिक है।

व्यवसाय

सारणी संख्या 3 से स्पष्ट है कि 147 लाभार्थी में से 39 प्रतिशत डेयरी कार्य, 11 प्रतिशत कृषि कार्य, 24 प्रतिशत सिलाई कार्य, 7 प्रतिशत जूतियाँ तथा पंखी बनाने का कार्य एवं एक–एक प्रतिशत दुकान चलाना तथा ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रही है। 'स्वयं सिद्धा' योजना का ध्येय स्व–व्यवसाय कार्य को प्राथमिकता देना है इसके अन्तर्गत क्षेत्र में प्राथमिक व तृतीयक कार्य किये जा रहे हैं चूंकि क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक किया जाता है इसलिए पशुपालन व कृषि एक दूसरे से सम्बद्ध होने के कारण महिलाएँ डेयरी कार्य प्रमुखता से कर रही हैं तथा अशिक्षित होने के कारण इस कार्य को वो आसानी से घरेलू कार्य के साथ सहजता से करती हैं।

39 प्रतिशत लाभार्थी भैंस पालन का कार्य करती हैं। सभी ने बैंक से ऋण लिया है साथ ही खानदानी पेशा कृषि कार्य करती है। दुग्ध, दुग्ध सहकारी समिति के द्वारा बेचा जाता है। डेयरी कार्य से प्रतिमाह औसत 2000 रूपये या उससे अधिक आय हो जाती है। वहीं श्रमिक कार्य करने वाली लाभार्थी की प्रतिमाह औसत आय 500 रूपये तक है। अशिक्षित लाभार्थी चूंकि घर से बाहर जाने में हिचकिचाती है। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है इसतिए घर में रहकर ही फुर्सत के तीन–चार घंटों में बीज काटना, कंगन बनाना, तगाई कार्य करना, रूई बत्ती बनाना इत्यादि कार्य करती हैं।

सारणी–5
शैक्षणिक स्तर और व्यवसाय

	जाति / व्यवसाय	अशिक्षित	साक्षर	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	सैकण्डरी	सीनियर सैकण्डरी	योग	प्रतिशत
स्व–व्यवसाय	डेयरी	28	-	25	5	-	-	58	39
	सिलाई	.	-	10	16	4	4	34	24
	कृषि	14	-	2	-	-	-	16	11
	जूतियाँ एवं पंखी बनाना	7	-	3	-	-	-	10	7
	दुकान चलाना	1	1	-	-	-	-	2	1
	ब्यूटी पार्लर	-	-	-	1	-	1	2	1
श्रमिक कार्य	तगाई कार्य	8	-	2	-	-	-	10	7
	कंगन डोरा	1	6	.	-	-	-	7	5
	बीज काटना	2	-	4	-	-	-	6	4
	रूई बत्ती बनाना	2	-	-	-	-	-	2	1
	योग	**63**	**7**	**46**	**22**	**4**	**5**	**147**	**100**

शिक्षा और व्यवसाय

सारणी से स्पष्ट है कि जिन लाभार्थी का शैक्षिक स्तर उच्च है वो कौशल के कार्य कर रही हैं वहीं जो लाभार्थी अशिक्षित हैं वो ग्रामीण परिवेश के अन्तर्गत डेयरी कार्य व कृषि कार्य व श्रमिक कार्य सहजता से कर रही हैं। कुल अशिक्षित लाभार्थी में से 44.44 प्रतिशत डेयरी कार्य कर रही हैं। कुल साक्षर लाभार्थी में से 85.71 प्रतिशत श्रमिक कार्य कर रही हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 54.34 प्रतिशत लाभार्थी सिलाई कार्य कर रही हैं। सैकण्डरी व उच्च सैकण्डरी शिक्षा प्राप्त लाभार्थी केवल तृतीयक कार्य में सिलाई तथा ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रही हैं।

मासिक आय व बचत

स्वयं सिद्धा समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं ने बैंक से प्राप्त ऋण से स्व–व्यवसाय शुरू किया जिससे महिलाओं को प्रतिमाह आय होने लगी है। महिलाओं की आय में वृद्धि होने से परिवार के पौष्टिक व शैक्षिक स्तर में बढ़ोतरी होती है। महिला की आय बच्चों की शिक्षा एवं उनको पौष्टिक आहार देने में सहायक होती है अध्ययन क्षेत्र में 500 रूपये प्रतिमाह से कम आय वाली लाभार्थियों का प्रतिशत 09 है तथा 500–1000 रूपये आय वाली 23 प्रतिशत लाभार्थी हैं। वहीं 1000 से 1500 रूपये तक आय वाली लाभार्थियों का प्रतिशत 35 है तथा प्रतिमाह 1500 रूपये से अधिक आय वाली लाभार्थियों का कुल 33 प्रतिशत है।

ग्रामीण महिलाएँ अपने स्व–व्यवसाय से प्राप्त आमदनी से बचत राशि को बचा कर रखती हैं तथा अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं। लाभार्थियों का प्रतिमाह 75 रूपये से अधिक बचत करने वालों का प्रतिशत 66 है। ये वो लाभार्थि हैं जो स्व व्यवसाय करती हैं। छोटी–छोटी बचत के द्वारा महिलाएँ आकस्मिक जरूरतों को पूरा करती हैं।

आर्थिक स्थिति

निर्धनता का सबसे बड़ा दबाब महिलाओं पर पड़ता है क्योंकि वह परिवार की अंतिम व्यक्ति होती है इसलिए वह सबसे अधिक उपेक्षित रहती है। ग्रामीण महिलाएँ समूह में जुड़ने से पूर्व साहूकार से ऋण लेती थीं जिससे उनका शोषण होता था। समूह की महिलाएँ अपनी छोटी बचत के द्वारा बैंक से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण लेती हैं तथा आय सर्जक गतिविधियाँ कर आय में वृद्धि करती हैं वहीं आंतरिक लेन–देन के द्वारा भी समूह की सदस्या अपनी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। बैंक से ऋण लेने वाली लाभार्थियों का प्रतिशत 53 है वहीं आंतरिक लेन–देन का प्रतिशत 32 है जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष

स्वयं सिद्धा योजना वर्ष 2001 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। इस योजना में स्व–व्यवसाय पर जोर दिया गया। यह योजना स्वयं सहायता समूह के गठन पर आधारित है जिसमें निरन्तर संस्थाओं के सृजन की आशा रखी है ताकि योजनावधि के पश्चात् बिना किसी व्यय के सतत् गतिविधियों का संचालन हो सके।

क्षेत्र सर्वेक्षण के निरीक्षण में पाया गया कि स्वयं सिद्धा योजना की स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ अभी भी अपना समूह चला रही है साथ ही स्व–व्यवसाय के अन्तर्गत डेयरी कार्य, सिलाई कार्य आदि प्रमुखता से कर रही हैं। ये वो कार्य हैं जो वर्ष भर चलते हैं जबकि श्रमिक कार्य के अन्तर्गत तगाई कार्य, कंगन डोरा बनाना आदि कार्य हैं जिन्हें महिलाएँ घर बैठे सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से करती हैं।

समूह की लाभार्थियाँ आंतरिक लेन–देन का कार्य करने में इतनी सक्षम हो गईं हैं कि आपस में ही एक–दूसरे को

आकस्मिक जरूरत के समय 02 प्रतिशत की दर से ब्याज देती हैं जिससे साहूकार से ऋण लेने में काफी हद तक कमी आई है।

परिकल्पना कि 'स्वयं सिद्धा' स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से लाभार्थियों को रोजगार मिलने से आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है तथा योजना समाप्ति के बाद भी समूह की क्रियाशीलता व आजीविका कार्य निरन्तर चल रहा है सिद्ध साबित होती है।

सरकार पाँच वर्ष की अवधि की योजना बनाती है, लेकिन उस अवधि के पश्चात् उसके गुणात्मक व मात्रात्मक पक्ष की मूल्यांकन कर उसे समय–समय पर पुनः गठित करना चाहिए ताकि लाभार्थियों में उत्साह बना रहे।

***वरिष्ठ व्याख्याता**
भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय, टोंक, (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. Mishra, R.N. and Sharma P.K. (2007), Rural Growth Centre for Micro level planning. Ritu Publication, Jaipur.
2. Singh Gopal (2003), Economic Empowerment of Rural Women in India RBSA Publication, S.M.S. Highway, Jaipur.
3. Prakash Ratan (2006), भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, अकादमिक एक्सेलेंस, दिल्ली।
4. Kumar Poonam (2001), Rural Women at Work, Clarrified Publishing Company, New Delhi.
5. Aashu Rani (2008), Mahila Vikas Karyakram, Inashri Publication.